कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ

दूरभाषः **0522–2204295**, **2205310**, फैक्सः **0522–2204163**

टोल फ्री नम्बर **1800–121–3203**

Website: https://www.upcane.gov.in / E-mail: upcdrs@gmail.com

Facebook: https:/www.facebook.com/upcane

Twitter: https://www.twitter.com/canewebsite

Youtube: https://www.youtube.com/channel/ucewkr8bagsaawmex09fjong

प्रेस–नोट

- **सौर ऊर्जा से चालू सोलर पम्पों को किया जायेगा ड्रीप सिंचाई से संबद्ध।**
- **गन्ना खेती की लागत में आयेगी 10–15 प्रतिशत की कमी तथा पानी की क्षमता उपयोग में होगी 50 प्रतिशत की वृद्धि।**

लखनऊः 28.12.2017

भारत सरकार द्वारा किसानों की आय 2022 तक दुगुनी किये जाने के कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का क्रियान्वयन करने हेतु गन्ना विकास विभाग उ.प्र. द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत ड्रीप सिंचाई संयंत्र किसानों के यहां स्थापित कराये जायेंगे तथा इन संयंत्रों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु इन्हें सौर ऊर्जा से संचालित सोलर पम्पों से जोड़ा जायेगा।

गन्ना विकास विभाग के सूत्रों ने बताया कि सिंचाई का सर्वोत्तम समय सूर्यास्त से सूर्योदय तक है अतः सोलर पम्पों को ड्रीप सिंचाई संयंत्र से संबद्ध करने पर किसान दिन में ओमर हेड टैंक में पानी भरकर संध्याकाल से सुविधाजनक एवं प्रभावी तरीके से गन्ने की सिंचाई कर सकेंगे। ड्रीप सिंचाई अपनाने पर गन्ने की दो पंक्तियों के बीच शस्य क्रियायें करने, उर्वरकों का समुचित सद्उपयोग होने तथा अन्तफसली खेती का अवसर बढ़ जाने से गन्ने की उत्पादन लागत में कमी तथा कृषकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होती है।

इस प्रकार सोलर पम्पों को ड्रीप सिंचाई संयंत्र से संबद्ध करने से जल एवं ऊर्जा का समुचित एवं समन्वित उपयोग होगा, खेत में प्रयुक्त पानी का दुरुपयोग/ओवर फ्लडिंग की संभावना समाप्त होगी तथा उर्वरकों का भरपूर लाभ प्राप्त होगा जिससे किसान की खेती की लागत में कमी आयेगी तथा गन्ने की उपज में वृद्धि से अधिक आय की प्राप्ति होगी।